यह निरीक्षण आख्या **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड बागेश्वर** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड बागेश्वर के अवधि 04/2014 से 08/2016 तक के लेखा–अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री संतोष गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री सुधीर कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री गौरव पंत, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 02.09.2016 से 15.09.2016 तक श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित संप्रेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग–प्रथम

(अ) परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री प्रभाकर दुबे, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री आनंद कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री मंजीत कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 09.04.2014 से 23.04.2014 तक श्री प्रेमचन्द, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी। जिसमें माह 02/2011 से 03/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(आ) वर्तमान में माह 04/2014 से 08/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित अधिकारियों ने कार्यायाध्यक्ष का पदभार संभाले रखा :

नाम	पदनाम	अवधि
1. ई. के.के. पंत	अधि. अभियन्ता	14.06.11 से 27.07.2015 तक
2. ई. एच.पी. सिंह	अधि. अभियन्ता	28.07.2015 से 22.08.2016 तक
3. ई. डी.सी. पंत	अधि. अभियन्ता	23.08.2015 से वर्तमान तक

(ब) विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन स्थिति :

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/वर्ष	प्रस्तर संख्या	
	भाग–2 अ	भाग–2 ब
03/2014–15	–	1, 2, 3, 4, 5, एवं स्टैन–1
39/डब्लू.ए.डी./2005–06/221/22.11.05	–	1
डब्लू.ए.डी./46/2006–07/57/09.01.2007	–	1
83/डब्लू.ए.डी./2010–11/16.03.2011	–	1, 2

(स). **सतत् अनियमिततायें** – शून्य

(द). अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित) – अनुपालन आख्या। इकाई द्वारा बतलाया गया है कि पूर्व में अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन अनुपालन आख्या सीधे महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय को भेजा जा चुका है।

बजट :

(धनराशि ` लाख में)

क्र.सं.	वर्ष	स्थापना (2515)			गैर–स्थापना (8443)		
		आवंटन	व्यय	प्रारम्भिक शेष	आवंटन	व्यय	प्रारम्भिक शेष
1	2014–15	119.71	119.71	1225.59	1313.69	908.63	1630.65
2	2015–16	119.89	119.89	1630.65	924.74	1179.93	1375.46

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 1 : अवैधानिक निर्माण कार्य के कारण ` 3.44 लाख का निरर्थक व्यय।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग का कार्य राज्य के विभिन्न विभागों हेतु निक्षेप कार्यों (Deposit works) को संपादित करना है। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, बागेश्वर की संप्रेक्षा अवधि 04/2014 से 08/2016 तक सम्बन्धित विभागीय अभिलेखों के जांच एवं विश्लेषण से विदित हुआ है कि राजकीय इंटर कालेज, बाजीरौट, तहसील कांडा, जिला बागेश्वर में दो अतिरिक्त कक्षों के निर्माण हेतु ` 17.5 लाख की तकनीकी स्वीकृति दिनांक 27.10.2015 को प्रदान की गयी। इस कक्ष के निर्माण हेतु दिनांक 19.11.2015 को निविदा आमंत्रित की गयी थी। विभागीय दरों से कम दरों पर न्यूनतम मूल्य ` 13.86 लाख की निविदा विभाग द्वारा स्वीकार की गयी। ठेकेदार द्वारा ` 7.18 लाख के मूल्य का कार्य कराये जा ने के बाद स्थल विवाद के कारण कार्य को बीच में ही रोकना पड़ा था। वर्तमान में राजकीय इण्टर कॉलेज, बाजीरौट में दो अतिरिक्त कक्षों के निर्माण का कार्य पिछले छह माह से बद है, और विभागीय पत्राचार के अनुसार विवादित भूमि पर निर्माण करने में ठेकेदार अनिच्छुक है। वर्तमान में ठेकेदार को ` 7.18 लाख मूल्य के किए गए कार्य में से विभाग द्वारा ` 3.44 लाख का भुगतान कर दिया गया है, और शेष ` 3.74 लाख का भुगतान किया जाना बाकी है।

संप्रेक्षा ने जांच में पाया कि उक्त निर्माण कार्य को विद्यालय के नाप भूमि पर कराने के जगह भद्रावती नदी के दरियाबुर्ज जमीन पर बनाया जा रहा था। इस निर्माण कार्य के बाढ़ की स्थिति में असुरक्षित होने का खतरा हमेशा बना रहेगा। नदी की तलहटी में निर्माण पर उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा रोक भी लगा दी गयी थी। इस प्रकार नदी की तलहटी में हुए इस अवैधानिक निर्माण कार्य को आगे सतत् नहीं किया जा सकता है। सामान्य वित्तीय नियम–2005 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका Vol-VI के नियमों के परिप्रेक्ष्य में उक्त निर्माण कार्य के पूर्णतः व्यर्थ हो जाने के कारण शासकीय धन की हानि हुई है।

इस निर्माण कार्य के संदर्भ में संप्रेक्षा द्वारा पूछे जाने पर क्या विभाग द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व में भूमि से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच की गयी थी। विभाग ने अपने उत्तर में बतलाया कि सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी गयी भूमि पर ही निर्माण कराया गया था और विवाद

सुलझाने पर पुनः कार्य पूर्ण किया जाएगा। विभाग ने अपने उत्तर में बतलाया कि ` 7.18 लाख मूल्य के किए गए कार्य में से इकाई द्वारा ` 3.44 लाख का भुगतान कर दिया गया है।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर संप्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योकि विवादित भूमि पर निर्माण करने से ठेकेदार द्वारा मना कर दिया है। विभाग के सामाने नियम विरूद्ध किए गए उक्त निर्माण कार्य को दूसरी जगह स्थानान्तरित करने के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है। (पत्रांक 660/ग्रा.नि.वि./दो–लेखा/2016–17 दिनांक 09/08/ 2016) विभाग द्वारा नए भूमि की प्राप्ति के लिए विद्यालय प्रशासन से लगातार पत्राचार किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति में विभाग द्वारा पूर्व में कराया गया कार्य व्यर्थ हो चुका है, और इस कार्य पर व्यय किया गया ` 3.44 लाख निरर्थक हैं।

इस प्रकार विभागीय लापरवाही के कारण वर्तमान तक अवैधानिक निर्माण कार्य पर हुए ` 3.44 लाख के निरर्थक व्यय का यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग -II (ब)

प्रस्तर 2 :- असम्यक कार्य योजना एवं दूरदर्शिता के अभाव में ` 6.14 लाख का निरर्थक व्यय तथा शासकीय धनराशि ` 46.62 लाख का अवरोधन।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार किसी भी नदी के किनारे न्यूनतम 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रतिबंधित है।

जनपद बगेशवर में जिला योजना के अंतर्गत ताइक्वांडो हाल के निर्माण हेतु अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड बागेश्वर द्वारा बनाए गए प्रारम्भिक आगणन रू॰ 65.99 लाख के सापेक्ष सचिव, संस्कृति पर्यटन एवं खेल कूद, उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त रू॰ 31.96 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी जिसे खेल विभाग द्वारा निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दिया गया।

प्रश्नगत निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु अधीक्षण अभियंता स्तर पर निविदा किया गया और न्यूनतम निविदा दाता नवीन सिंह परिहार की ` 49.05 लाख की निविदा स्वीकृत करते हुये अनुबंध संख्या- 12 दिनांक 04-12-2012 गठित किया गया जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 05-12-2012 तथा कार्य पूर्ण करने की तिथि 04-11-2013 निर्धारित थी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा बगेशवर के निर्माण कार्य से संबन्धित लेखा अभिलेखो की नमूना जांच (सितंबर 2016) मे यह तथ्य प्रकाश मे आया की उक्त भवन का निर्माण जिला खेल परिसर में सरयू नदी की तलहटी में किया जाना प्रस्तावित था जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का न केवल उल्लंघन था अपितु सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी अत्यधिक हानिकारक था। प्रस्तावित कार्यस्थल कि भू-वैज्ञानिक कि रिपोर्ट के अनुसार सरयू नदी के निकट होने के कारण तब तक उपयुक्त नहीं था जब तक कि भू-वैज्ञानिक द्वारा सुझाए गए 10 बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित न कर लिया जाता।

प्रश्नगत निर्माण कार्य निर्धारित समय दिनांक 05-12-2012 से तीन माह विलम्ब से मार्च 2013 में भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना ही प्रारम्भ हुआ तथा दिनांक 17-07-2013 को अत्यधिक वर्षा के कारण जिला प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य रोक दिया गया था उस समय तक अपूर्ण निर्माण कार्य 20% भौतिक प्रगति के साथ ` 6.14 लाख का व्यय किया जा

चुका था और उक्त कार्य संप्रेक्षा तिथि तक (सितंबर 2016) बन्द था। इस सम्बंध में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि कार्य को बन्द करने के बाद भी खेल विभाग द्वारा दिनांक 30.01.2014 को पुनः ` 20.80 लाख कि धनराशि निर्माण इकाई को निर्गत कर दिया गया था, जिसका कोई औचित्य नहीं था निर्माणाधीन निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ न होने के कारण दिनांक 04-09-2014 को अधीक्षण अभियंता परिमंडल पिथौरागढ़ द्वारा अनुबंध बिना किसी अर्थ दण्ड के निरस्त कर दिया गया।
उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि असम्यक कार्य योजना एवं दूरदर्शिता के अभाव में नियमों के विरुद्ध ताइक्वांडो हाल का निर्माण नदी तलहटी में किए जाने के कारण अपूर्ण स्थिति में बन्द करना पड़ा और उस पर किया गया व्यय ` 6.14 लाख न केवल निरर्थक रहा अपितु 46.62 लाख की धनराशि विगत तीन वर्षों से निर्माण इकाई के पास अनावश्यक रूप से अवरुद्ध थी (` 25.82 लाख 47 माह से और ` 20.80 लाख 32 माह से) तथा ताइक्वांडो हाल का निर्माण विगत तीन वर्षों से अधिक समय से अपूर्ण होने के कारण निर्माण उद्देश्यों की पूर्ति भी अप्राप्त थी जो कि जनहित कि हानि थी।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि उक्त निर्माण कार्य अपर जिलाधिकारी/ जिला क्रीडा अधिकारी के मौखिक निर्देशों के क्रम में बन्द किया गया । निर्माण कार्य बन्द करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कोर्ट के आदेशों के क्रम में किया गया था। ग्राहक विभाग द्वारा कार्य बन्द होने कि स्थिति में धनराशि वापस करने हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा कहा गया परन्तु उनके द्वारा कार्यस्थल अन्यत्र देने के सम्बंध में लिखा गया।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उक्त भवन का निर्माण सरयू नदी की तलहटी मे किया जाना प्रस्तावित था जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का न केवल उल्लंघन था अपितु सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी अत्यधिक हानिकारक था। अत्यधिक वर्षा के कारण जिला प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य रोक दिया गया था, उस समय तक अपूर्ण निर्माण कार्य पर ` 6.14 लाख का व्यय किया जा चुका था साथ ही कार्य को बन्द करने के बाद भी खेल विभाग द्वारा पुनः ` 20.80 लाख कि धनराशि निर्माण इकाई को निर्गत कर दिया गया था, जिसका कोई औचित्य नहीं था। उक्त से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा ताईक्वांडो हाल पर किया गया व्यय ` 6.14 लाख न केवल निरर्थक रहा अपितु 46.62 लाख की धनराशि विगत तीन वर्षों से निर्माण इकाई के पास अनावश्यक रूप से अवरुद्ध रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग -II (ब)

प्रस्तर 3 :- <u>निर्माण कार्य मे अत्यधिक विलम्ब के बाद भी नियमानुसार LD की कटौती न कर ठेकेदारों को लाभ पहुंचना ` 23.02 लाख ।</u>

उत्तराखंड शासनादेश द्वारा जनपद वागेश्वर के तहसील कपकोट मे थाना कपकोट के आवासीय एवं अनावासीय भवन निर्माण हेतु ` 198.69 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमे ` 196.51 लाख निर्माण कार्य हेतु तथा ` 2.18 लाख डीपीआर तथा भू-गर्भिय आख्या हेतु था। अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण सेवा वागेश्वर द्वारा ` 196.51 लाख की डी० पी० आर० के सापेक्ष उतनी ही राशि की तकनीकी स्वीकृति अधीक्षण अभियंता परिक्षेत्र पिथौरागढ़ द्वारा प्रदान किया गया था ।

प्रश्नगत कार्य के निष्पादन हेतु निविदा की गयी जिसमे मेसर्स सी० एस० कन्स्ट्रकशन रानीखेत, अलमोडा की निविदा विभागीय दर से 10.12 % कम ` 1,43,59,343.00 पर अनुबन्ध 2013-14 गठित किया गया था जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 01.11.2013 और कार्य पूर्ण होने की तिथि 30.04.2015 निर्धारित थी ।

कार्यालय अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा बागेश्वर के निर्माण कार्य से संबन्धित लेखा अभिलेखो की नमूना जांच (सितंबर 2016) मे यह तथ्य प्रकाश मे आया की उक्त भवन का निर्माण सरयू नदी की तलहटी मे किया जाना प्रस्तावित था जो कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का न केवल उलंघन था अपितु सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी अत्यधिक हानिकारक था। प्रस्तावित कार्य स्थल की भूवैज्ञानिक की रिपोर्ट के अनुसार सरयू नदी के निकट होने के कारण तब तक उपयुक्त नहीं था जब तक की भूवैज्ञानिक द्वारा सुझाए गए बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता। प्रश्नगत निर्माण कार्य भूमि विवाद के कारण निर्धारित समय से विलम्ब से

भूवैज्ञानिक के सुझावो अनुपालन सुनिश्चित किए बिना ही प्रारम्भ हुआ था तथा कार्य समय से पूर्ण न होने के कारण ठेकेदार द्वारा 270 दिन का अतिरिक्त समय 01.05.2015 से 31.01.2016 तक समय की मांग की गयी थी जिसकी स्वीकृति के स्थिति स्पष्ट नहीं थी उसके बाद भी संप्रेक्षा तिथि (07 सितम्बर 2016) तक निर्माण कार्य पर ` 178.50 लाख का व्यय किया जा चुका था और निर्माण कार्य अपूर्ण था, जांच मे यह पाया गया की ठेकेदार द्वारा कार्य मे अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा था, और निर्माण कार्य अपने पूर्ण होने के 7 माह बाद भी अपूर्ण था। निर्माण कार्य से संबन्धित G. P. W. 9 के clause संख्या 4.5 के अनुसार कार्य मे हुए विलम्ब के लिए अनुबंध की लागत का अधिकतम 10% LD की कटौती किया जाना चाहिए जो की निर्माण इकाई द्वारा नहीं किया गया ।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि असम्यक कार्य योजना और दूरदर्शिता के अभाव मे, नियमों के विरुद्ध, थाना कपकोट के आवासीय एवं अनावासीय भवन निर्माण कार्य किया गया तथा कार्य मे अनावश्यक विलम्ब किया गया परिणाम स्वरूप ठेकेदार को ` 14.36 लाख का अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

आगे यह भी पाया गया कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर में आवासीय भवन टाइप-IV (2) का निर्माण कार्य हेतु ` 71.120 लाख स्वीकृत किया गया। इसके लिए अनुबन्ध संख्या - 04 गठित किया गया जिसमें श्री लाल सिंह पुत्र श्री चन्द्र सिंह ग्राम भरतोला पोस्ट बागेश्वर, जिला बागेश्वर को विभागीय दरों ` 7112000.00 के सापेक्ष धनराशि ` 6677674.81/- में उक्त कार्य की निविदा स्वीकृत की गयी। बॉण्ड के अनुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 25-07-2015 तथा कार्य पूर्ण होने की तिथि 24-07-2016 निर्धारित की गयी।

मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी सम्पूर्ण धनराशि विगत वर्ष ` 30.00 लाख एवं वर्तमान वर्ष में ` 41.12 लाख डी॰ सी॰एल॰ खाते में हस्तांतरित की जा चुकी थी। दिनांक 6--6-2016 को निरीक्षण में पाया गया कि कार्य स्थल पर कार्य विगत एक माह से कार्य बन्द पड़ा था और कार्य की प्रगति न्यून पाई गयी। अगस्त 2016 तक की मासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार ठेकेदार द्वारा केवल 65% कार्य ही किया गया और कार्य की गुणवत्ता भी काफी खराब पायी गयी । उक्त से स्पष्ट था कि ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य करने में कोई रुचि नहीं ली जा रही थी। विभाग द्वारा ठेकेदार से निर्माण कार्य से संबन्धित G. P. W. 9 के clause संख्या 4.5 के अनुसार कार्य मे हुए विलम्ब के लिए अनुबंध की लागत का अधिकतम 10% LD की कटौती किए जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी और न ही कार्य समय पूर्ण न करने पर उसका अनुबंध निरस्त किए जाने की चेतावनी ही दी गयी। जिससे स्पष्ट है की विभाग द्वारा ठेकेदार को (6677674.81/- का 10% = 667767/-) ` 6.68 लाख का अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

इसके अतिरिक्त एक अन्य कार्य कोषागार बागेश्वर के अन्तर्गत उप कोषागार काण्डा, बागेश्वर के भवन निर्माण कार्य हेतु ` 27.53 लाख स्वीकृत किया गया। जिसके सापेक्ष धनराशि ` 19.00 लाख ड्राफ्ट संख्या 010274 दिनांक 22.02.2014 द्वारा प्रेषित कर दिया गया। वित्त विभाग द्वारा उक्त भवन हेतु प्रस्तावित भूमि के स्थान पर अन्यत्र भूमि उपलब्ध करायी गयी इस भूमि पर स्थल विकास एवं अतिरिक्त सुरक्षात्मक कार्य कराये जाने आवश्यक थे। जिसके कारण पुनरीक्षित आगणन धनराशि ` 30.98 का गठित कर प्रेषित किया गया, जिसकी स्वीकृति प्राप्त किया जाना बाकी है। ठेकेदार को विभागीय दरों ` 2384197.08 के सापेक्ष 16.80% कम पर धनराशि ` 1983651.97 में उक्त कार्य की निविदा स्वीकृत की गयी। इसके लिए अनुबन्ध संख्या - 13 दिनांक 04.02.2015 गठित किया गया जिसमें श्री जमन सिंह दानू पुत्र श्री त्रिलोक सिंह ग्राम किलपारा पोस्ट बदियाकोट, जिला बागेश्वर को उक्त कार्य की निविदा स्वीकृत की गयी। बॉण्ड के अनुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि 04-02-2015 तथा कार्य पूर्ण होने की तिथि 03-12-2015 निर्धारित की गयी।

उप कोषागार भवन निर्माण कार्य अभी तक अपूर्ण है उसमें निम्नवत कार्य किए जाने अभी अवशेष थे -

1) निर्माणाधीन उप कोषागार, काण्डा के समीप जो नाला बहता है उसमें सुरक्षा दीवार का होना।
2) निर्मित भवन उप कोषागार, काण्डा भवन के चारों ओर एवं छत पर रेलिंग।
3) निर्मित भवन उप कोषागार, काण्डा भवन में जनरेटर रूम का कार्य भी अवशेष है।
4) निर्मित भवन उप कोषागार, काण्डा भवन में विदद्युत कनेक्सन व पानी कनेक्सन का कार्य भी अभी तक पूर्ण नहीं कराया गया है।

जीपीडबल्यू 09 के क्लॉज़ सं॰ 07 के अनुसार आवश्यक परिस्थितियों में 30 दिन से लेकर कुल कार्य अवधि का 50% से अधिक नहीं किया जाना चाहिए। ठेकेदार द्वारा 03-12-2015 तक उक्त निर्माण कार्य को पूर्ण कर लिया जाना था लेकिन उप कोषागार भवन निर्माण कार्य अभी तक अपूर्ण है । जबकि उक्त कार्य के लिए ठेकेदार द्वारा न तो समय वृद्दि हेतु कोई आवेदन दिया गया और न ही विभाग द्वारा समय वृद्दि हेतु कोई स्वीकृति प्रदान किए जाने से संबन्धित अभिलेख पाया गया। ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूर्ण नहीं करता तो इसके लिए विभाग द्वारा निर्माण कार्य से संबन्धित G. P. W. 9 के clause संख्या 4.5 के अनुसार कार्य मे हुए विलम्ब के लिए अनुबंध की लागत का अधिकतम 10% LD की कटौती किया न किए जाने के कारण ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण करने में शिथिलता बरती जा रही थी। जिससे स्पष्ट था कि विभाग द्वारा ठेकेदार को (1983651.97 का 10% = 198365) ` 1.98 लाख का अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि थाना निर्माण हेतु कोई अन्य भूमि उपलब्ध न होने के कारण इस भूमि पर निर्माण कार्य कराया गया। भू-वैज्ञानिकों के द्वारा सुझाए गए सुझावों का यथा सम्भव अनुपालन किया गया है। सक्षम अधिकारी द्वारा कोई आदेश प्राप्त न होने के कारण एल डी कि कटौती नहीं कि गयी। मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर के आवासीय भवन टाइप-IV (2) के सम्बंध में अवगत कराया कि ठेकेदार को कई बार यथा समय कार्य पूर्ण करने हेतु लिखित / मौखिक रूप से कहा गया लेकिन कार्य पूर्ण नहीं किया गया। ठेकेदार से समस्त कटौतियाँ अन्तिम भुगतान में की जाती हैं।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि उक्त भवन का निर्माण सरयू नदी की तलहटी मे किया जाना प्रस्तावित था जो कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का न केवल उलंघन था अपितु सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी अत्यधिक हानिकारक था। निर्माण कार्य पर ` 178.50 लाख का व्यय किया जा चुका था और निर्माण कार्य अपने पूर्ण होने के 7 माह बाद भी अपूर्ण था। मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी आवासीय भवन टाइप-IV (2) एवं उप कोषागार काण्डा, बागेश्वर के भवन निर्माण कार्य हेतु ठेकेदार से कोई दण्ड वसूले जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी और न ही कार्य समय पूर्ण न करने पर उसका अनुबंध निरस्त किए जाने की ही चेतावनी दी गयी और कार्य मे अनावश्यक विलम्ब किया गया जिसके परिणाम स्वरूप ठेकेदारों को (14.36+6.68+1.98=23.02) ` 23.02 लाख का अनुचित लाभ पहुंचाये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें, जिनका समाधान/निराकरण लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें पृथक रूप से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर अलग से **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड बागेश्वर** को इस आशय से प्रेषित की गयी की वे लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, सी–1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामाजिक क्षेत्र